रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122022-240693 CG-DL-E-01122022-240693

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5316] No. 5316] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2022/अग्रहायण 9, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2022/AGRAHAYANA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

का.आ. 5548(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में NH-130B के कि.मी. 90.245 से कि.मी.90.73 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सिहत 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोदबाजार (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

7934 GI/2022 (1)

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में NH-130B के कि.मी. 90.245 से कि.मी. 90.73 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़ जिले का नाम: बलौदाबाजार-भाटापारा									
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)				
तालुक का नाम: लवन									
गांव का नाम: बिटकुली									
1	1322	सरकारी	शासकीय घास	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000				
2	1323/1	निजी	कृषि भूमि	0.0060000(हेक्टेयर)	0.0060000				
3	1323/2	निजी	कृषि भूमि	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000				
4	1326/4	निजी	कृषि भूमि	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000				
5	1327/1	निजी	कृषि भूमि	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000				
6	1330/1	सरकारी	शासकीय घास	0.1120000(हेक्टेयर)	0.1120000				
7	1524	सरकारी	शासकीय नाला	0.0650000(हेक्टेयर)	0.0650000				
8	1573/1	निजी	कृषि भूमि कोटवारी सेवा भूमि	0.1010000(हेक्टेयर)	0.1010000				
9	1573/2	सरकारी	किसान डबरी	0.0320000(हेक्टेयर)	0.0320000				
10	1574	सरकारी	शासकीय घास	0.0610000(हेक्टेयर)	0.0610000				
	0.4450								

[फा. सं. RO/NH/CG-2021-22/LA/3A] राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2022

S.O. 5548(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH-130B in the stretch of land from Km 90.245 to Km. 90.73 Construction of Mallin Nala Bridge in the District of Balodabazar-Bhatapara in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Division Officer(Revenue) Balodabazar (Chhattisgarh) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-130B in the stretch of land from Km. 90.245 to Km. 90.730 Construction of Mallin Nala Bridge in the District of Balodabazar-Bhatapara in the state of Chhattisgarh.

Stat	State: CHHATTISGARH District: Balodabazar-Bhatapara								
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)				
Taluk: Lawan									
Village: Bitkuli									
1	1322	Government	Government Grass	0.0400000(Hectare)	0.0400000				
2	1323/1	Private	Agriculture Land	0.0060000(Hectare)	0.0060000				
3	1323/2	Private	Agriculture Land	0.0080000(Hectare)	0.0080000				
4	1326/4	Private	Agriculture Land	0.0120000(Hectare)	0.0120000				
5	1327/1	Private	Agriculture Land	0.0080000(Hectare)	0.0080000				
6	1330/1	Government	Government Grass	0.1120000(Hectare)	0.1120000				
7	1524	Government	Government Nala	0.0650000(Hectare)	0.0650000				
8	1573/1	Private	Agriculture Land Kotwari Seva Land	0.1010000(Hectare)	0.1010000				
9	1573/2	Government	Farmer Dabri	0.0320000(Hectare)	0.0320000				
10	1574	Government	Government Grass	0.0610000(Hectare)	0.0610000				
Total 0.4450									

[F. No. RO/NH/CG-2021-22/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Director